र व तारीख
नाम जो इस
की तामील
जारी हुए

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः–गौरव कुमार मित्तल (आर0ए0एस0)

मु0न0 14/2025 ता0रजू 01.07.2025 निर्णय दिनांक 28-1-26

पुत्री 'आदेशादि0 30/1/26 के अनुसार

1. बादाम देवी पत्नी बजरंग लाल शर्मा 80 वर्ष
2. छोटा देवी पुत्री बजरंग लाल उम्र 78 वर्ष
3. गोदावरी देवी पुत्री बजरंग लाल 70 वर्ष

जातियान ब्राहम्ण निवासीयान सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्टस्

बनाम

1. कोशल पुत्र दामोदर उम्र 70 वर्ष
2. रामनरेश पुत्र दामोदर उम्र 66 वर्ष
3. पंकज पुत्र दामोदर उम्र 52 वर्ष
4. ममता देवी पत्नी स्व धर्म नरेश पुत्र दामोदर 55 वर्ष
5. आशीस पुत्र स्व धर्मनरेश पुत्र दामोदर उम्र 20 वर्ष
6. बाबूलाल पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहम्ण उम्र 79 वर्ष
7. सरकार जरिये लेंड होल्डर सवाई माधोपुर।
8. ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सूरवाल

रेस्प

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.12.1982 ग्राम पंचायत सूरवालनामान्तकरण संख्या 1784 राजस्व ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थितः–

1. श्री शिवचरण सोनी एड0 अपीलांटस की ओर से।
2. श्री राजेश कुमार मीना एड0 रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से।
3. श्री भौलाशंकर शर्मा एड0 रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से।

:– निर्णय –:

स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान का नामांतकरण गलत तरीके से एक तरफा में दामोदर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 बाबूलाल के नाम नामांतकरण खोल दिया जबकि उक्त विवादित नामांतकरण अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 तथा दामोदर लाल के नाम खुलना चाहिए था। विवादित आराजी जो बजरंग लाल पुत्र बंशीधर की मृत्यु के बाद छोडी गई साबिक खसरा नम्बर 4876 रकबा चार बीघा 6 बिस्वा हाल खाता संख्या 215 के खसरा नम्बर 4078 रकबा 1.09 हेक्टेयर वाके ग्राम सूरवाल— बी तहसील सवाई माधोपुर में अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट 6 बाबू लाल का 1/5 हिस्सा तथा दामोदर लाल पुत्र बजरंग लाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान एक लगायत तीन एवं धर्म नरेश का 1/5 हिस्सा धर्म नरेश स्वर्गवास हो जाने पर उनकी पत्नी रेस्पोंडेंट है जिसे गोर गिये बिना है गलत नामांतकरण खोल दिया है जो निरस्त किया जाने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 7 लेंड होल्डर होने से तथा ग्राम पंचायतजरिये सरपंच रेस्पोडेंट संख्या —8 को पक्षकार बनाया गया 5—यह कि अपीलांट KCC बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल लेने दिनांक 19/06/2025 पटवारी हल्का के पास गई तब पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम कोई खातेदारी जमीन नहीं है तब दिनांक 20/06/2025 को विवादित नामांतकरण की नक़ल लेने का प्रार्थना पत्र लगाया जिसकी नक़ल दिनांक 26/06/2025 को प्राप्त हुई इस प्रकार जानकारी में जो समय लगा है वह प्राकृतिक न्याय के सिदांत के आधार पर कंडोन किये जाने योग्य है इस बावत अलग से दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ योग्य अदालत ग्राम पंचायत सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 22/12/1982 नामांतकरण संख्या 1784 राजस्व ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर निरस्त फरमाया जाकर विवाद ग्रस्त आराजी मृतक बजरंग लाल पुत्र वंशीधर जाति ब्राहमण निवासी अनुसार सूरवाल के नाम से दर्ज होने के कारण विरासत के अपीलांटके नाम का इन्द्राज हेतु विवादग्रस्त नामांतकरण रिमांड फरमाया जावे जिससे अपीलांटगणों के नाम इन्द्राज हो सके।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की जरिये नोटिस तलबी की गयी। रेस्पो0 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित हुऐ। प्रकरण से सम्बन्ध मे मूल नामान्तकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर से तबल किया गया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे वकील अपीलांटस की बहस सूनी। वकील अपीलांट ने अपने अपील प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि अपीलांटगण 1 लगायत 3 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता स्व० दामोदर के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के पिता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के ससुर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पिता स्व० दामोदर लाल के पिता बजरंगलाल पुत्र बंशीधर स्वर्गवास के बाद उनके वारिसान का नामांतकरण गलत तरीके से एक तरफा में दामोदर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 बाबूलाल के नाम नामांतकरण खोल दिया जबकि उक्त विवादित नामांतकरण अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 तथा दामोदर लाल के नाम खुलना चाहिए था। विवादित आराजी जो बजरंग लाल पुत्र बंशीधर की मृत्यु के बाद छोडी गई साबिक खसरा नम्बर 4876 रकबा चार बीघा 6 बिस्वा हाल खाता संख्या 215 के खसरा नम्बर 4078 रकबा 1.09 हेक्टेयर वाके ग्राम सूरवाल— बी तहसील सवाई माधोपुर में अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा रेस्पोडेंट 6 बाबू लाल का 1/5 हिस्सा तथा दामोदर लाल पुत्र बजरंग लाल

जमाबंदी सम्बत 2074–77 के खाते में दामोदर लाल पि0 बजरंगलाल प्रविष्टि की थी। जमाबदी 2074–77 स्थाई में दिनांक 24.03.2025 शुद्वि पत्र से बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल का नाम दर्ज हुआ है। शुद्वि दर्ज करते समय नामान्तकरण संख्या 2326 से बाबूलाल का नाम हटाने की जानकारी नही थी। बाद में इस तथ्य की जानकारी होने से खाता संख्या 215 में दामोदर लाल पुत्र बजरंगलाल कोम ब्राहम्ण दुस्तथ किया था। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर यह अपील पेश की है। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना देना नही है। वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 का है। अतः उक्त अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वकील रेस्पो0 संख्या 6 ने अपीलांट की बहस का कथन स्वीकार किया तथा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में वकील रेस्पो0 द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के सम्बन्ध में विधिक तथ्य/साक्ष्य पेश नही करने के कारण अपीलांट का धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट ने उक्त अपील नामान्तकरण संख्या 1784 दिनांक 22.12.1982 ग्राम पंचायत सूरवाल के विरूद्व पेश की है। अपीलांट का कथन है कि उक्त अपील मृतक बजरंग लाल पुत्र बंशीधर कोम ब्राहम्ण के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही नामान्तकरण दर्ज किया है जबकि अपीलान्ट मृतक बजरंग लाल पुत्र बंशीधर कोम ब्राहम्ण के विधिक वारिस होते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से निर्णिय पारित करने में अहम् कानूनी भूल की है। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तकरण खोलते समय केवल एक ही पक्ष को सुना गया है जो गलत है ना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक बजरंग लाल पुत्र बंशीधर कोम ब्राहम्ण के जीवत वारिसानो के बारे में जॉच की गयी है तथा विवादित आराजीयात पर कब्जे सम्बन्धित भी जॉच नही की गयी है। नामान्तकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तकरण कोरम की मिटिंग में पेश नही किया गया है यदि पेश किया जाता तो नामान्तकरण में कोरम की मिटिंग का उल्लेख अवश्य होता। उक्त कारणो से अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1784 दिनांक 22.12.1982 ग्राम पंचायत सूरवाल खारिज किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 1784 दिनांक 22.12.1982 ग्राम पंचायत सूरवाल में जो आराजीयात मृतक बजरंग लाल पुत्र बंशीधर कोम ब्राहम्ण के नाम दर्ज है उस पर मृतक बजरंग लाल पुत्र बंशीधर कोम ब्राहम्ण के विधिक वारिसानो की जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक किया जावें। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति एवं पत्रावली में संलग्न मूल नामान्तकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को भिजवाया जावें। निर्णय आज दिनांक 28-1-......... को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हो।

(गौरव कुमार मित्तल)